8.5.17	पत्रावली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी एकतरफा। वकील वादी साक्ष्य पेश करना नही चाहते है। जो पूर्व मे ही बंद की जा चुकी है। वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस कथन किया कि वादी व प्रतिवादी सं. 2 सगे भाई है। जो प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 की पैतृक व पुश्तैनी भूमि ग्राम-डेरवाना तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 96/2 रकबा 46-17 बीघा भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट वादी के दादा मेहरा के नाम दर्ज हुई थी।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

08/16 चम्पालाल vs भंवरा वगैरह

मुरवली मेहरा के फौत होने पर खातेदारी अधिकार वादी व प्र0 1 भंवरा को प्राप्त हो गई। इस प्रकार पैतृक व पुश्तैनी भूमि में पिता के जीवनकाल में पुत्र हक हिस्सा प्राप्त कर सकते है जबकि वादी व प्रतिवादी सं0 1 का अपने 2 हक हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 1 को प्रतिवादी सं0 2 के साथ सहखातेदार करार देते हुए, 1/3 हिस्सा वादी की, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 की खातेदारी घोषित करते हुए, वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे पाया कि ग्राम-डेरा पाना तहसील सिणधरी की स्थित खसरा संख्या 96/2 रकबा 46-17 बीघा भूमि प्रतिवादी सं0 1 भंवरा के नाम आवंटी खातेदारी दर्ज है। पत्रावली के संलग्न जमाबंदी संवत 2013 से 2016 के कॉलम संख्या 4 में वादी के दादा व प्रतिवादी सं0 1 के पिता मेहरा का नाम दर्ज है इससे प्रमाणित है, कि विवादित भूमि पैतृक व पुश्तैनी भूमि है जो मुरवली

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

हिस्सा के प्राप्त होने पर उसके स्वा.. अधिकारी प्रतिवादी नं०1 भंवरा को प्राप्त हो गई है और पैतृक व पुश्तैनी भूमि में अपने पिता के जीवन काल से कुल हक हिस्सा प्राप्त कर सकते है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी नं०1 वादग्रस्त भूमि में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है एवं मौका रिपोर्ट में भी वादी का 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त होना पाया गया है उपरोक्त विवेचन अंतर्गत वादी अपना वाद स्वीकार कराने में सफल रहा है।

लिहाजा वादी का वाद लोक अदालत की भावना को मद्देनजर रखते हुए, स्वीकार किया जाकर ग्राम-डेरपाना तहसील सिवाना की खसरा संख्या 96/2 रकबा 46-17 बीघा भूमि में वादी व प्रतिवादी नं०2 को, प्रतिवादी नं०1 के साथ ~~सहखातेदार~~ करार देते हुए 1/3 हिस्सा वादी की, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं०1 की एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं० 2 की खातेदारी घोषित की जाती है अन्य सहायता वादी साबित नहीं कर सका है। तहसीलदार सिवाना तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर) 18/5/17
सहायक कलक्टर
SDO सिवाना

Scanned by CamScanner

अंतिम - डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7,जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code,Appendix “d”1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी बमुकाम सिणधरी
ब इजलास श्री नाथूसिह राठौड़,आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
चम्पालाल पुत्र भंवरा कौम - पुरोहित जाति - डेर पाना (भूंका भगतसिंह) तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		1- भंवरा पुत्र मेहरा 2- किशनसिंह पुत्र भंवरा जाति - पुरोहित निवासी - डेर पाना (भूंका भगतसिंह) तहसील सिणधरी 3- तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद स.– 06/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री बाबुलाल किशोर ,वकील मिनजानिब व प्रतिवादीगण एकतरफा – मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं व डिकरी दी जाती हैं, कि वादी का वाद लोक अदालत की भावना को मद्देनजर रखते हुए, अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम- डेर पाना तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 96/2 रकबा 46-17 बीघा भूमि मे वादी व प्रतिवादी नं. 2 को प्रतिवादी नं. 1 के साथ सहखातेदार करार देते हुए, 1/3 हिस्सा वादी की 1/3 प्रतिवादी नं. 1 की, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं. 2 की खातेदारी घोषित की जाती है। अन्य सहायता बाबत वादी साबित नहीं कर सका है। तOR सिणधरी तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज दर्ज किया जाना सुनिश्चित कराये।

बीज – मुबलिग – बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय सद व शरह ------फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ------ को अदा करे ।

बसख्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज तारीख 08/4/17 को जारी की गई ।

(हस्ताक्षर) 08/4/17
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Scanned by CamScanner